क्रमांक 4310-4 जी0एस0-II-72/26822

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 11 सितम्बर, 1972

विषय : सिविल पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपर्युक्त विषय की ओर आकर्षित करूं और कहूं कि राज्य के कुछ विभागों में क्लर्कों के पदों पर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय टाईप का ज्ञान होना एक अनिवार्य योग्यता है, और क्लर्कों के रिक्त स्थान भरते समय इसी प्रकार रोजगार कार्यालयों/अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल को अधिसूचित किया जाता है । यह अनुभव किया गया है कि आरक्षित पदों पर जिन्हें भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरा जाता है, प्रारम्भिक भर्ती समय टाईप के जानने की शर्त का अनिवार्य होना कठिनाई उत्पन्न करता है ।

2. इस विषय पर विचार कर निर्णय किया गया है कि भूतपूर्व सैनिक की क्लर्कों के पदों पर प्रारम्भिक भर्ती के समय टाईप टैस्ट पास करने की शर्त पर जोर न दिया जाए और यदि टाईप करने की योग्यता नियमों के अनुसार आवश्यक हो तो ऐसे कलर्क जिन्हें आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है उन्हें 6 मास की अवधि टाईप सीखने के लिये दे दी जाए । ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो 45 वर्ष या इस से अधिक आयु के हों, उन्हें टाईप परीक्षा पास करने से पूरी छूट दे दी जाए ।

3. इन अनुदेशों को विधिवत पालना के लिये नोट किया जाए और इस पत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-0

उप सचिव, सामान्य प्रशासन

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित :—

सभी वित्तायुक्त, तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।